>

Title : Need to amend section 498A of Indian Penal Code to permit the closure of cases after mutual agreement of the litigant parties.

**श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़):** हमारे देश में विवाहिता महिलाओं पर दहेज प्रताड़ना जैसे अत्याचारों के लिए संसद ने कानून बनाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) की रचना करके अत्याचारियों को दंड देने के प्रावधान किए हैं साथ ही इस धारा के तहत ऐसे अपराध को गैर-जमानती व संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि उक्त दहेज प्रताड़ना जैसे अपराध के संबंध में मुकदमा दर्ज हो जाने के उपरांत अधिकांश लगभग 75 प्रतिशत मामलों मं दोनों परिवारों में राजीनामा होकर फिर से साथ-साथ रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) जिसके तहत मुकदमा दर्ज होता है यह धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(2) के अंतर्गत नहीं होने से दोनों परिवारों में राजीनामा हो जाने के उपरांत भी न्यायालय उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत राजीनामा करने की अनुमति नहीं दे सकता है और धारा 498(ए) के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाना आवश्यक हो जाता है, जिसके कारण उन दोनों परिवारों में हुई आपसी सुलह फिर से मन-मुटाव व मतभेद में बदल जाती है।

मेरा अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में न्यायहित में व लोकहित में दहेज प्रताड़ना जैसे अपराधों के लिए बनाई गई भारतीय दंड संहिता की धारा 498(ए) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320(2) के अंतर्गत लिया जावे, जिससे कि ऐसी स्थिति में न्यायालय भी राजीनामा करने की अनुमति दे सके।